राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बली

निर्णय दिनांकः– 21.05.2015

1. सत्यपालसिंह पिता अर्जुनसिंह रावत निवासी बली जस्साखेडा तहसील भीम

बनाम

1. श्री हरीसिंह पिता पुनमसिंह जाति रावत निवासी बली तहसील भीम

प्रकरण संख्या :– 28/2013 प्रा.प्र. अन्तर्गत धाराः– 111, 128

उपरोक्त प्रकरण में सत्यपालसिंह पिता अर्जुनसिंह रावत निवासी बली जस्साखेडा तहसील भीम बनाम श्री हरीसिंह पिता पुनमसिंह जाति रावत निवासी बली तहसील भीम का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच सुलह हो चुकी है एवं हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है।

उक्त मौजा बली के आराजी खसरा नम्बर 1438 मीन रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का पडौस निम्न प्रकार हैः–

पूर्व में :– माताजी का मन्दिर, पश्चिम में खीमसिंह की भूमि , उत्तर में रोड, दक्षिण में हरीसिंह की संस्कार वैली पब्लिक स्कूल है। उपरोक्त आराजियात की मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नही होने की वजह से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य लडाई–झगडा होता रहता है। अप्रार्थीगण जमीन पर कांटे डालकर अतिक्रमण कर रहा है। अतः राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बली में लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा बली के आराजी खसरा नम्बर 1438 मीन रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि की पक्की पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण से जमा कर उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner